राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या – 1280/2007/बीकानेर

सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी,
घट–द्वितीय, वृत–बी, बीकानेर .....अपीलार्थी

बनाम

मैसर्स हसनैन ग्रेनाईट्स कम्पनी,
सारड़ा चौक, पुरानी लेन गंगाशहर, बीकानेर .....प्रत्यर्थी

एकलपीठ

श्री नत्थूराम–सदस्य

उपस्थित : :

श्री डी.पी.ओझा,
उप राजकीय अभिभाषक .....अपीलार्थी–विभाग की ओर से
अनुपस्थित .....प्रत्यर्थी–व्यवहारी की ओर से

निर्णय दिनांकः–22.12.2017

निर्णय

1. अपीलार्थी–विभाग द्वारा यह अपील उपायुक्त (अपील्स) वाणिज्यिक कर विभाग, बीकानेर (जिसे आगे **"अपीलीय अधिकारी"** कहा जायेगा) के द्वारा अपील संख्या 320/प्रवेश कर/बीकानेर/06–07 में पारित आदेश दिनांक 24.04.2007 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है, जिसके द्वारा उन्होंने सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, घट–द्वितीय, वृत–बी, बीकानेर (जिसे आगे **"सशक्त अधिकारी"** कहा जायेगा) द्वारा पारित आदेश दिनांक 10.11.2006 जो राजस्थान स्थानीय क्षेत्रों में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम,1999 (जिसे आगे **"प्रवेश कर अधिनियम"** कहा जायेगा) के तहत कायम कर, ब्याज व शास्तियॉ राशि रूपये 5,25,463/– में से कर व ब्याज को यथावत रखते हुए, शास्ति को अपास्त करते हुए अपील आंशिक रूप से स्वीकार की है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रत्यर्थी व्यवहारी एक्सकेवेशन ऑफ मिनरल माइनिंग, ग्रेनाईट आदि का विक्रय करता है। व्यवहारी द्वारा मै0 लार्सन एण्ड टूबरो कोमासन्सू लि0 बेंगलौर से सी फार्म के विरूद्ध एक हाईड्रोलिक एक्सकेवेटर आयात किया गया था एवं अपने हिसाबी पुस्तकों में नियमित रूप से दर्ज किया गया था। सशक्त अधिकारी ने प्रत्यर्थी का वर्ष 2003–04 का कर निर्धारण आदेश दिनांक 10.11.2006 को पारित करते हुए, प्रत्यर्थी के विरूद्ध कर रू0 1,73,000/–, धारा 17(2) के अन्तर्गत शास्ति रू0 61,242/–, धारा 34 ए/धारा 45 सपठित धारा 58 के अर्न्तगत ब्याज राशि रू 30,621/– धारा 12(5) के अन्तर्गत शास्ति रू0 2,59,500/–, तथा धारा 35(1)(बी) के अन्तर्गत शास्ति रू0 1,000/–व कुल रू0 5,25,463/– प्रत्यर्थी व्यवहारी के विरूद्ध मांग आरोपित की। सशक्त अधिकारी के उक्त आदेश से व्यथित होकर, प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील पेश करने पर, अपीलीय अधिकारी ने व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत अपील में कर राशि रू 1,73,000/–, धारा 17(2) के अन्तर्गत शास्ति रू0 61,242/–, व धारा 35(1)(बी) के अन्तर्गत शास्ति रू0 1,000/– को यथावत रखा है तथा धारा 34 ए/धारा 45 सपठित धारा 58 के अर्न्तगत ब्याज राशि रू 30,621/– एवं धारा 12(5) के अन्तर्गत शास्ति रू0 2,59,500/–, को अपास्त किया है जिसके विरूद्ध विभाग द्वारा यह द्वितीय अपील कर बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

लगातार.....2

3. प्रत्यर्थी व्यवहारी बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहा है उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाते हुए विद्वान उप राजकीय अभिभाषक की एकतरफा बहस सुनी गयी।

4. अपीलार्थी–विभाग के विद्वान उप राजकीय अधिवक्ता ने अपने तर्को में यह कहा है कि अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश विधिविरूद्ध है एवं सशक्त अधिकारी द्वारा पारित आदेश का समर्थन करते हुए उन्होंने विभाग द्वारा प्रस्तुत अपील को स्वीकार करने का निवेदन किया।

5. हमने पत्रावली का अवलोकन किया व बहस पर मनन किया। रेकार्ड के अवलोकन से स्पष्ट है कि व्यवहारी द्वारा सी फार्म के विरूद्ध एक हाईड्रोलिक एक्सकेवेटर मै0 लार्सन एण्ड टुबरो कोमान्स लि0 बंगलौर से आयात किया गया है जिसे हिसाबी पुस्तकों में नियमित रूप से दर्ज किया गया। प्रवेश कर अधिनियम की धारा 3 के अनुसार यदि कोई वस्तु लोकल एरिया में लाई जाती है तो उस पर प्रवेश कर की देयता बनती है। राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ.4(30)एफडी/टैक्स–डिवी./2002–03 दिनांक 16.04.2002 आयातकर्ता पर लागू नहीं होती है यह अधिसूचना उन व्यवहारियों पर लागू होती है जिन्होंने राज्य में एक बार प्रवेश कर चुका दिया है तो केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम,1956 में विक्रय करने पर कर दायित्व नहीं होगा। दूसरे राज्य के क्रय/विक्रय को राज्य की अधिसूचना में आधार बनाया जावे, उचित नहीं है। सशक्त अधिकारी ने प्रवेश कर अधिनियम की धारा 12(4) के अन्तर्गत प्रवेश कर का आरोपण किया है जो विधिसम्मत है। व्यवहारी ने सद्भाविक विश्वास के कारण प्रवेश कर जमा नहीं कराया है। व्यवहारी ने समय पर प्रवेश कर के अन्तर्गत पंजीकरण नहीं लिया है अतः नियम 3 एवं 35(1)(बी) के अन्तर्गत आरोपित शास्ति भी यथावत रखने में अपीलीय अधिकारी ने कोई त्रुटि नहीं की है। कर विलम्ब से जमा कराने के लिए जब धारा 17(2) के अन्तर्गत शास्ति आरोपित कर दी गई है तो अधिनियम,1994 की धारा 58 के अन्तर्गत ब्याज आरोपित किया जाना विधिसम्मत नहीं है। अपीलीय अधिकारी ने विस्तृत विवेचन करने के पश्चात ही आदेश पारित किया है जिसमें यह पीठ किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं समझती है।

6 फलतः अपीलार्थी–विभाग द्वारा प्रस्तुत अपील अस्वीकार की जाती है तथा अपीलीय अधिकारी के आदेश दिनांक 24.04.2007 की पुष्टि की जाती है।

7 निर्णय सुनाया गया।

(नत्थूराम)